भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नामः

जनपद पिथौरागढ़ में रीठाखानी–दोबॉस मोटर मार्ग – 4.935 है0 सिविल वन भूमि हस्तांतरण (FP/UK/ROAD/7395/2015)

1. **टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):**

उपरोक्त योजना हेतु पिथौरागढ़ वन प्रभाग में 4.935 है0 वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मार्ग निर्माण में आरक्षित वन प्रभावित नहीं हो रहा है तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त के निरीक्षण टिप्पणी के अनुसार प्रस्तावित सिविल वन भूमि में 159 वृक्ष जिसमें 118 वृक्ष बॉज वृक्षों का पातन किया जाना उक्त मार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम एवं अनिवार्य है तथा इनमें से 0–20 से0मी0 तक व्यास वर्ग के बॉज वृक्षों को प्रस्तावक विभाग के व्यय पर आसपास के क्षेत्रों में प्रत्यारोपण व सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के शर्त पर मार्ग निर्माण की संस्तुति की है। अतः वन संरक्षक की सशर्त संस्तुति से सहमत होते हुए जनहित में उपरोक्त वन भूमि हस्तांतरण की सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः [signature]

नाम व पदनामः (एस0टी0एस0लेप्चा भा.व.से)
अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं
नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

सरकारी मोहरः

तिथि : 23/02/2015
स्थानः देहरादून